अधि0क्र0 / एम.एफ.पी.–पार्क / निविदा / 17 / 1559 दिनांक 16.08.2017

निविदा फार्म का मूल्य – 1000/– रूपये

निविदा प्रपत्र

लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, बरखेड़ा पठानी, भोपाल द्वारा संचालित विन्ध्य हर्बल्स खुदरा विपणन केन्द्र, आयुर्वेदिक औषधालय परिसर (6नम्बर स्टाप) के लीज रेंट पर आवंटन हेतु लघु निविदा आमंत्रण

तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 30.08.2017 समय अपरान्ह 5.00 बजे तक)

लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी–पार्क)

वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल

(प्रधान कार्यालय–म.प्र.राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित)

फोन : (0755) 2970629, 2970630 फैक्स : (0755) 2417670

Website: www.vindhyherbals.com , Email: mfpparc@gmail.com, mfp_parc@rediffmail.com

अधि0क्र0 / एम.एफ.पी.–पार्क / निविदा / 17 / 1559 दिनांक 16.08.2017

निविदा के संबंध में निर्धारित समय सारणी

क्रं	कार्यविवरण	दिनांक एवं समय
1	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित दिनांक एवं समय	**दिनांक 17.08.2017 से दिनांक 30.08.2017 अपरान्ह 3.00 बजे तक निविदा प्रपत्र कार्यालीन समय में प्राप्त किया जा सकेगा।** **निविदा प्रपत्र www.vindhyaherbals.com पर भी सन्दर्भ हेतु आनलाइन उपलब्ध रहेगा।**
2	तकनीकी एवं वित्तीय निविदा भौतिक रुप से जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय	**30.08.2017 को सांयकाल 5.00 बजे तक– कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी लघुवनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, बरखेड़ा पठानी भोपाल को व्यक्तिगत / डाक / कोरियर से प्राप्त हो जाना चाहिए।**
3	भौतिक रुप से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खोलने का निर्धारित दिनांक एवं समय	**31.08.2017 दिन गुरुवार को अपरान्ह 3.00 बजे से**
4	निविदा प्रपत्र का मूल्य	**राशि रूपये 1000 / – (एक हजार रुपए) के नगद भुगतान अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट जोकि "Chief Executive Officer, MFPPARC" के नाम से भोपाल में देय हो द्वारा भुगतान किया जाए।**
5	सत्यंकार राशि–	**सत्यंकार राशि रूपये 20,000 / – (रू. बीस हजार मात्र) का डिमान्ड ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य है। डिमान्ड ड्राफ्ट "Chief Executive Officer, MFPPARC" के नाम से भोपाल में देय हो द्वारा भुगतान किया जाए। बिना सत्यंकार राशि के निविदा अमान्य कर दी जाएगी।**

प्राक्कथन

''विन्ध्य हर्बल्स'' ब्रांड के अन्तर्गत लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ. पी–पार्क), बरखेड़ा पठानी भोपाल, जो कि म.प्र. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्या. भोपाल की एक इकाई है, के द्वारा विन्ध्य हर्बल्स ब्राण्ड के अन्तर्गत हर्बल एवं आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्माण किया जाता है। विंध्य हर्बल्स ब्राण्ड के अंतर्गत निर्मित उत्पादों के खुदरा विपणन तथा प्राथमिक लघु वनोपज समितियों द्वारा एकत्रित कच्चे हर्बल उत्पाद एवं अन्य प्रसंस्कृत लघु वनोपज एवं वनौषधियों के लिये ''संजीवनी आयुर्वेद'' के नाम से सेल आउटलेट्स प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित किये गये हैं।

लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी–पार्क), बरखेड़ा पठानी भोपाल, द्वारा निम्नलिखित अधोसंरचनाओं के लीजरेंट आधार पर पर संचालन के लिए इच्छुक अनुभवी व्यक्तियों, आयुर्वेदिक चिकित्सकों/ फार्मास्युटिकल/एफ.एम.सी.जी. प्रोडक्ट्स के खुदरा व्यापारियों/ व्यवसाईयों/पंजीकृत फर्मो से मुहरबंद वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है–

1. लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी–पार्क) को आयुष विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयुर्वेदिक औषधालय, 6 नम्बर बस स्टाप परिसर में 10x10 वर्गफीट क्षेत्रफल में एक विक्रय काउन्टर ''विन्ध्य हर्बल्स आयुर्वेद विक्रय केन्द्र'' आवंटित किया गया है, जिसके माध्यम से आमजनों को विन्ध्य हर्बल्स उत्पाद उपलब्ध कराए जाना है। '' विन्ध्य हर्बल्स आयुर्वेद विक्रय केन्द्र'' जिसके माध्यम से केवल विन्ध्य हर्बल्स उत्पादों का विक्रय किया जाना है का लीज रेंट आधार पर फ्रैंचायची संचालन हेतु लघु निविदा का आमंत्रण।
2. **अहर्तायें**

   निविदा प्रस्तुत करने की आवश्यक अहर्तायें निम्नानुसार हैः–

   1. आयुर्वेदिक दवाओं/ फार्मास्युटिकल उत्पादों/एफ.एम.सी.जी. उत्पादों के खुदरा अथवा थोक विक्रेता अथवा आयुर्वेदिक डाक्टर्स/प्रबंधक आदि।
   2. संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष का कार्यानुभव।
   3. बी0फार्मा अथवा बी0ए0एम0एस0

   अहर्ताओं से संबंधित दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां तकनीकी निविदा में संलग्न करना अनिवार्य है।

   I. सत्यंकार राशि का बैंक ड्राफ्ट।
   II. निविदाकार का GST/PAN का पंजीयन प्रमाण।
   III. चार्टड एकाउटेंट/अंकेक्षक द्वारा प्रमाणीकृत विगत तीन वित्तीय वर्ष का लाभ–हानि पत्रक एवं बैलेंस शीट की जानकारी।
   IV. पिछले 3 वित्तीय वर्ष में जमा किए गए आयकर प्रमाण की जानकारी।
   V. संस्था द्वारा निविदा में भाग लेने के लिये अधिकार पत्र।
   VI. निविदाकार द्वारा इस आशय का स्वलिखित घोषणा पत्र लेटरहेड अथवा 50 रुपए के नान–ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर संलग्न करना होगा कि उसका नाम वन विभाग अथवा अन्य किसी शासकीय विभाग की काली सूची में दर्ज नहीं है।

3. करार अवधि

करारनामा निष्पादन की दिनांक से 3 वर्ष तक की करार अवधि के लिए एतद द्वारा निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। संतुष्टि पूर्ण कार्य संपादन की समीक्षा उपरांत 1 वर्ष के लिए करार अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।

4. **निविदा पपत्र प्राप्त करना तथा जमा करना–**

(i) **निविदा प्रपत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम0एफ0पी0पार्क), बरखेड़ा पठानी, भोपाल के कार्यालय से कार्यालीन समय में रू. 1000/– (एक हजार) के नगद भुगतान अथवा किसी भी अधिसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो कि Chief Executive Officer, MFPPARC के पक्ष में भोपाल में देय हो, के माध्यम से भुगतान कर **दिनांक 30.08.2017 अपरान्ह 3.00 बजे** तक प्राप्त किया जा सकता है।

(ii) निविदा पत्र बेवसाइट www.vindhyaherbals.com से भी प्राप्त किये जा सकते है। उपरोक्त द्वारा प्राप्त निविदा प्रपत्र जिसे इसके बाद **"डाउनलोडेड"** निविदा कहा गया है, में निविदा प्रस्तुत करने पर उसके साथ रू. 1000/– एक हजार रुपए का किसी भी अधिसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट जो कि Chief Executive Officer, MFPPARC के पक्ष में **भोपाल** में देय हो, संलग्न करना होगा।

(iii) **तकनीकी निविदा–**निविदाकार को **परिशिष्ट–I** में तकनीकी निविदा भरना है। निविदाकार को सत्यंकार राशि का **डिमांड ड्राफ्ट एवं अहर्ता से संबंधित दस्तावेज तकनीकी निविदा के साथ पृथक सीलबंद लिफाफे में रखना होगा जिस पर तकनीकी निविदा अंकित करना होगा।**

(iv) **वित्तीय निविदा**–वित्तीय निविदा निर्धारित **प्रपत्र परिशिष्ट–II** में भरकर पृथक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा, जिस पर **"वित्तीय निविदा"** अंकन किया जाये तथा इन दोनों लिफाफो को एक पृथक बड़े लिफाफे में रखकर सील बंद कर "विन्ध्य हर्बल्स आयुर्वेद विक्रय केन्द्र 6 नं, स्टाप के लीज रेंट आधार पर संचालन हेतु निविदा" लिखना अनिवार्य है, अर्थात एक बड़े लिफाफे में दो अलग–अलग सीलबंद लिफाफे होगें। प्रथम लिफाफे में तकनीकी निविदा के भरे हुए फार्म एवं अन्य दस्तोवज, सत्यंकार राशि का डिमांड ड्राफ्ट होगा तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय निविदा का भरा हुआ फार्म होगा। (तकनीकी निविदा में सफल निविदाकार के ही वित्तीय निविदा प्रस्ताव खोले जाएगें, असफल निविदाकार को सत्यंकार राशि उनके आवेदन उपरांत वापिस कर दी जाएगी।)

(v) **निविदा की अंतिम दिनांक–** भौतिक रुप से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा मय सत्यंकार राशि एवं निविदा प्रपत्र क्रय करने के प्रमाण/रसीद के साथ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.08.2017 को सांयकाल 5.00 बजे तक है। कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी लघुवनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, बरखेड़ा पठानी भोपाल को कोरियर/व्यक्तिगत/डाक इत्यादि से निर्धारित समय तक प्राप्त हो जाना चाहिए।

(vi) **निविदा प्रस्तुत करने की पात्रता इत्यादि–**

(i) निविदा पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर सील इत्यादि अंकितजाना अनिवार्य है।

(ii) वन विभाग म0प्र0 शासन/लघु वनोपज संघ द्वारा घोषित काली सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत निविदाऐं अवैध मानी जावेंगी।

(iii) म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ अथवा एम0एफ0पी–पार्क, बरखेड़ा पठानी, भोपाल के कर्मचारी एवं उनके आश्रित आवंटन के पात्र नहीं रहेंगे।

5. सत्यंकार (EMD) **की राशि–**

निविदा में भाग लेने के लिए सत्यंकार की राशि निम्नानुसार देय होगी–

(i) **सत्यंकार राशि रू. 20,000/– (रू.बीस हजार)** का किसी भी अधिसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट जो कि Chief Executive Officer, MFPPARC के पक्ष में **भोपाल** में देय हो, द्वारा जमा की जायेगी।

(ii) **बिना सत्यंकार राशि (EMD) के प्राप्त होने वाली निविदा को अमान्य कर दिया जाएगा।**

(iii) निविदा परिणाम घोषित होने के उपरांत असफल निविदाकारों की सत्यंकार राशि उनके आवेदन उपरांत वापस कर दी जावेगी।

6. सुरक्षा निधिः

(i) सफल निविदाकार को इस केन्द्र द्वारा प्रेषित सूचना दिनांक से 10 कार्यदिवस में करारनामा निर्धारित **प्रपत्र परिशिष्ट–III** अनुसार निष्पादित करना आवश्यक है। उक्त निर्धारित अवधि में यदि करारनामा निष्पादित नही किया जाता है तो उस श्रेणी के द्वितीय निविदाकार को अवसर प्रदान किया जाएगा। करारनामा निष्पादन करते समय सुरक्षा निधि की राशि के तौर पर सफल निविदाकार को राशि 50,000/–पचास हजार रुपए जमा कराना आवश्यक है। **सुरक्षा निधि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।**

(ii) सफल निविदाकार के आवेदन पर निविदा के साथ जमा सत्यंकार राशि, सुरक्षा निधि राशि में समायोजित की जा सकेगी।

(iii) सफल निविदाकार के द्वारा जमा सुरक्षा राशि लीज़ करारनामा अवधि की सफल पूर्णता के उपरान्त वापस कर दी जावेगी। राशि की वापिसी उसी स्थिति में की जाएगी जबकि लीजधारक द्वारा संजीवनी केन्द्र अथवा आयुर्वेदिक चिकित्सालय केन्द्र के भवन अथवा उससे जुड़ी किसी भी सम्पत्ति, फिक्सर को नुकसान न पंहुचाया गया हो। किसी प्रकार के नुकसान की भरपाई की प्रतिपूर्ति प्रतिभूति निक्षेप की राशि से की जाएगी, इसके उपरांत ही वापिसी योग्य शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

7. निविदाओं का खोला जाना–

(i) निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त निविदाओं की तकनीकी निविदाओं को दिनांक 31.08.2017 को अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम0एफ0पी0पार्क), बरखेड़ा पठानी, भोपाल में खोला जावेगा।

(ii) तकनीकी रूप से उपयुक्त पाई गई निविदाओं के निविदाकारों की वित्तीय निविदाएं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष दिनांक 31.08.2017 को ही अपरान्ह 4:00 बजे से खोली जावेगी।

8. सफल निविदाकार से करारनामा का निष्पादन–

(i) सफल निविदाकार को स्वीकृति जारी किये जाने के 15 दिनों के अंदर प्रत्येक परिशिष्ट–III में दिये गये प्रपत्र में करारनामा संबधित निष्पादित करना होगा।

(ii) करारनामे के निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में क्रेता की नियुक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम0एफ0नी–पार्क, बरखेड़ा पठानी, भोपाल द्वारा निरस्त की जा सकेगी और ऐसे निरस्तिकरण पर संबंधित बिक्री केन्द्र के लिये दी गई सत्यंकार की राशि अधिहरण कर ली जावेगी और निविदाकार को ऐसी अवधि के लिए काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा, जो तीन वर्ष तक हो सकती है।

9. करार अवधि में वृद्धि :–

सफल निविदाकार के साथ करार की अवधि करारनामा निष्पादन के दिनांक से 3 वर्ष तक है। 3 वर्ष उपरांत निविदाकार के आवेदन पर लीज अवधि की एक बार वृद्धि के पश्चात बाद अग्रिम 1 वर्ष के लिये वृद्धि हेतु यही प्रक्रिया अपनाई जावेगी। प्रत्येक वर्ष लीज रेंट में 10 प्रतिशत वृद्धि की जावेगी।

10. देय लीज रेंट का भुगतान –

नियुक्त लीज धारक देय लीज रेंट का त्रैमासिक आधार पर चार समान किश्तों में अग्रिम भुगतान लीज धारक के करारनामे की शर्त क्रमांक 1 (II) के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम0एफ0पी–पार्क, बरखेड़ा पठानी, भोपाल को करेगा।

11. करारनामे का हस्तांतरण नही किया जाएगा।

12. विक्रय केन्द्र का प्रभार :

(i) प्रथम किश्त के अग्रिम भुगतान उपरांत संबंधित संजीवनी बिक्री केन्द्र का प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम0एफ0पी–पार्क, बरखेड़ा पठानी, भोपाल अथवा उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी द्वारा अधिकतम 7 कार्य दिवस में कर दिया जायेगा।

(ii) बिक्री केन्द्र के प्रभार प्राप्त करने की कार्यवाही के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम0एफ0पी–पार्क, बरखेड़ा पठानी, भोपाल से संपर्क करना होगा।

(iii) प्रभार हस्तांतरण के दौरान समस्त चल/अचल सम्पत्तियों/स्टाक की सूची तैयार की जाएगी जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम0एफ0पी–पार्क, बरखेड़ा पठानी, भोपाल द्वारा इस कार्य हेतु अधिकृत अधिकारी एवं लीजधारक के हस्ताक्षर किए जाएगें।

13. अधिनियम, नियमावली और शर्तो का उल्लंघन तथा करारनामे की समाप्ति :

यदि निविदाकार वैधानिक अधिनियम, नियमावली और/अथवा क्रेता करारनामे की किन्ही शर्तो का उल्लंघन करता है, तो करारनामें को समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी साथ ही–

(1) नियुक्त लीज धारक को पांच वर्ष की कालावधि तक के लिए काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

(2) तत्काल प्रभाव से संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र को खाली करना होगा।

(3) नियुक्त लीज धारक द्वारा जमा किया गया लीज रेंट वापस नहीं होगा।

(4) नियुक्त लीज धारक द्वारा जमा किया गया प्रतिभूति निक्षेप राजसात कर दिया जायेगा।

(5) यदि भवन/सम्पत्ति या इससे संबद्ध संपत्ति को नियुक्त लीज धारक के द्वारा हानि पहुंचाई जाती है तो इसकी मरम्मत व अन्य भरपाई भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत वसूल की जायेगी।

14. शर्तो का स्वीकार करना–

इस निविदा के संदर्भ में निविदा प्रस्तुत करने के कार्य को निविदा सूचना की शर्तो एवं निबंधनों /नियमों की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा।

15. अधिनियम के प्रावधान का लागू होना–

अधिनियम तथा नियमावली के समस्त तत्समय प्रवृत्त प्रवधान जहां तक कि वे संचालनकर्ताओं के ऊपर लागू होते हैं, निविदा सूचना एवं लीज रेंट करारनामें के निबंधनों तथा शर्तो के विशेषतः अभिन्न अंग होंगे।

विन्ध्य हर्बल्स आयुर्वेद विक्रय केन्द्र, आयुर्वेदिक औषधालय परिसर (6नम्बर स्टाप) के संचालन हेतु

तकनीकी निविदा

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र,
(एम0एफ0पी0–पार्क) बरखेड़ा पठानी
भोपाल

निविदा अधिूसचना क्र./निविदा/6न0/2017/..............दिनांक ..../........../2017 के संदर्भ में ''विन्ध्य हर्बल्स आयुर्वेद विक्रय केन्द्र, आयुर्वेदिक औषधालय परिसर (6नम्बर स्टाप) '' बिक्री केन्द्र के संचालन हेतु मेरी/हमारी .... निविदा निम्नानुसार हैः–

1. निविदाकार/संस्था का पूरा नाम :

2. निविदावार/संस्था के मालिक का शैक्षणिक योग्यता :
   (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)

3. पत्र व्यवहार पता :
   (दूरभाष तथा व्यापारिक संस्था स्थल)

4. प्रोपराईटर/भागीदार/प्रबंधक के नाम व
   दूरभाष सहित पता

प्रोपराईटर	भागीदार	प्रबंधक

5. क्या निविदाकार संस्था प्रोपराईटरशिप,
   भागीदार संस्था अथवा लिमिटेड कंपनी है?
   (पार्टनरशिप डीड कम्पनी की पॉवर ऑफ अटार्नी की एक प्रति संलग्न करें)

6. यदि भागीदार फर्म अथवा लिमिटेड कंपनी
   है तो पंजीयन क्र. एवं पंजीयन स्थल का
   विवरण भरें

7. वर्तमान व्यापार/व्यवसाय का विवरण

8. खुदरा थोक विक्रेता का अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

9. वितरक का अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

10. वर्तमान व्यापार का वार्षिक टर्नओवर

11. वर्तमान में निविदाकार के द्वारा स्वयं बनाये जा रहे/विपणन किये जा रहे हर्बल उत्पादों का विवरण यदि हो तो

12. यदि अन्य ब्रांड के हर्बल उत्पादों में व्यापार/हेंडल किया जा रहा है तो उनका विवरण :

:

कंपनी का नाम	उत्पादों का नाम	वार्षिक टर्न ओवर	कब से व्यापार कर रहे हैं

13. सहभागी व्यापारिक कंपनी/उद्यम का विवरण :

14. पेन/जीएसटी पंजीयन क्रमांक

15. ड्रग लायसेंस यदि है तो, क्रमांक एवं वैधता दिनांक (खुदरा अथवा थोक व अन्य)

16. सत्यंकार राशि का विवरण
बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक क्र. .... दिनांक .... बैंक का नाम .... राशि ....

सत्यंकार राशि का बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चैक तकनीकी निविदा आफर के लिफ़ाफे में रखें ।

निविदाकार के हस्ताक्षर
(नाम प्रोपराईटर/भागीदार)
रबर स्टाम्प

<u>परिशिष्ट–।।</u>

विन्ध्य हर्बल्स आयुर्वेद विक्रय केन्द्र, आयुर्वेदिक औषधालय परिसर (6नम्बर स्टाप) के संचालन हेतु

<u>वित्तीय निविदा</u>

<u>(पृथक लिफाफे में रखें)</u>

कार्य	राशि अंकों में (रुपए)	राशि शब्दों में (रुपए)
प्रस्तावित मासिक लीज रेंट दर प्रतिमाह (अन्य सभी करों जो कि सफल निविदाकार के द्वारा देय रहेंगे को छोड़कर)		

दिनांक______________________

निविदाकार के हस्ताक्षर

(नाम प्रोपराईटर)

प्रपत्र
लीज धारक का करारनामा

यह करारनामा आज दिनांक .... माह .... वर्ष .... को प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, (एम0एफ0पी0–पार्क) बरखेड़ा पठानी भोपाल (जो इसके पश्चात प्रथम पक्ष के नाम से निर्दिष्ट है) हैं (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राहय हो, उसके कार्यालयीन उत्तराधिकारी, सम्मिलित–होंगे) तथा द्वितीय पक्ष के श्री ....आत्मज .... निवासी ....के साथ ....स्थित कंपनी / संस्था / व्यक्ति, जिसका नाम .... के साथ भागीदारी अथवा एकल मालिक के रूप में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात विन्ध्य हर्बल्स खुदरा विपणन केन्द्र, आयुर्वेदिक औषधालय परिसर (6नम्बर स्टाप) के संचालन के लीज धारक, फ्रैंचायची या द्वितीय पक्ष के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राहय न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया जाता है। (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो।)

लघु वनोपज संघ द्वारा स्थापित प्रसंस्करण इकाई लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, भोपाल के माध्यम से निर्मित किये जाने वाले हर्बल्स उत्पादों के विक्रय हेतु विन्ध्य हर्बल्स खुदरा विपणन केन्द्र, आयुर्वेदिक औषधालय परिसर (6नम्बर स्टाप) को लीज रेंट आधार पर संचालन करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों या अनुभवी आयुर्वेदिक / फर्मास्युटिकल / एफ.एम.सी.जी. प्रोड्क्ट्स के खुदरा व्यापारी / व्यवसाईयों से अपनी निविदा सूचना क्रमांक .... दिनांक .... के द्वारा निविदायें आमंत्रित की गई थी, और इच्छुक लीज धारक के द्वारा प्रस्तावित की गई लीज रेंट दर प्रतिमाह .... एवं सुरक्षा निधि राशि 50,000 / –(पचास हजार रुपए एकमुश्त) जमा की गई है। सफल निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र में दर्शाई गये शर्तो स्वीकार की गई है।
अतः सफल निविदाकार ....निवासी / पता..............................को .... अवधि के लिए विन्ध्य हर्बल्स खुदरा विपणन केन्द्र, आयुर्वेदिक औषधालय परिसर (6नम्बर स्टाप) को लीजरेंट फ्रैंचायची संचालनकर्ता दिनांक................. से आगामी 3 वर्षों हेतु नियुक्त किया जाता है।

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैंः–

1. (I) **लीज़ रेंट दर आदि एवं भुगतान –**

यह कि द्वितीय पक्ष– विन्ध्य हर्बल्स खुदरा विपणन केन्द्र, आयुर्वेदिक औषधालय परिसर (6नम्बर स्टाप) जिला .... जिसके लिये रूपये .... (अंको में) .... (शब्दों में) प्रति माह की लीज रेंट दर से संचालित करेगा। लीज रेंट के अतिरिक्त द्वितीय पक्ष समय–समय पर विद्युत, जल, नगर निगम अथवा अन्य कोई भी लागू कर/उपकर भी अदा करेगा।

(II) द्वितीय पक्ष करार अवधि में देय लीज रेंट का भुगतान अग्रिम तौर पर प्रत्येक माह की 5 तारीख या इसके पूर्व करने हेतु सहमत है।

(III) द्वितीय पक्ष द्वारा लीज रेंट दो माह की अवधि तक यदि भुगतान नही किया जाता है, तो करारनामा समाप्त कर दिया जाएगा।

2. **द्वितीय पक्ष द्वारा संचालित गतिविधियां :**

1. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा वितरकों को प्रदाय की जाने वाली दरों, छूट एवं कमीशन के आधार पर औषधियों का प्रदाय किया जाएगा।
2. स्थानीय स्तर पर बिक्री केन्द्र से बिक्री की वृद्धि के लिये विज्ञापन एवं प्रोत्साहन गतिविधियों पर किये जाने वाला व्यय नियुक्त लीज धारक को स्वयं वहन करेगा। यद्यपि किसी भी विज्ञापन सामग्री का विकास द्वितीय पक्ष द्वारा किये जाने पर, विज्ञापन से पूर्व विकसित की गई सामग्री का अनुमोदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.एफ.पी.–पार्क से प्राप्त करेगा।
3. विन्ध्य हर्बल्स उत्पादों से संबंधित आवश्यक पठन योग्य सामग्री एवं सूचना ब्रोशर्स के साथ उत्पाद साहित्य समय समय पर एम. एफ. पी. पार्क के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
4. यह द्वितीय पक्ष का दायित्व होगा कि बिक्री केन्द्र की छत पर ''विन्ध्य हर्बल्स'' का एक बड़ा साइन बोर्ड प्रदर्शित करे।
5. विक्रय केन्द्र के बारे में एम. एफ. पी. पार्क को ग्राहकों की टिप्पणियां व सुझाव प्राप्त करने का पूरा अधिकार रहेगा।
6. लीज सम्पत्ति का उपयोग अन्य प्रयोजनों हेतु नही किया जा सकेगा।
7. लीज सम्पत्ति परिसर में किसी प्रकार की प्रयोजन से असंबंधित एवं अवैधानिक गतिविधियों का संचालन लीज ग्राही द्वारा नही किया जाएगा। किसी प्रकरण में लीज परिसर में यदि इस प्रकार की शिकायत/साक्ष्य प्राप्त होते है तो उसकी सम्पूर्ण जबाबदारी लीज ग्राही की ही होगी।
8. लीज सम्पत्ति का निरीक्षण/अनुश्रवण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.एफ.पी.–पार्क अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/अमले द्वारा कभी भी किया जा सकता है।

3. **बिजली, पानी आदि के बिलों का भुगतान –**

(1) द्वितीय पक्ष को आवंटित बिक्री केन्द्र का रखरखाव, विद्युत उपभोग बिल इत्यादि के बिलों का भुगतान उस तिथि से करार अवधि तक करना होगा जब से द्वितीय पक्ष द्वारा विक्रय केन्द्र को संचालन हेतु लिया गया है।

(2) द्वितीय पक्ष को बिक्री केन्द्र की साफ–सफाई एवं छोटे–छोटे मरम्मत कार्यों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(3) द्वितीय पक्ष संबंधित विक्रय केन्द्र को उसी अवस्था में प्रथम पक्ष को वापस करेगा जिस अवस्था में उसे निविदा करारनामा प्रारंभ होने पर दिया गया था ।

(4) विद्युत, जल अथवा अन्य कोई व्यय का भुगतान वाणिज्यिक दरों पर सफल निविदाकार के द्वारा किया जाएगा। द्वितीय पक्ष के भुगतान न करने की दशा में यह देय राशि प्रतिभूति जमा राशि से काटकर जमा की जावेगी। ऐसी कटौती की गई राशि की प्रतिपूर्ति सफल निविदाकार द्वारा एक माह के भीतर जमा की जावेगी।

5. **विन्ध्य हर्बल्स आयुर्वेद केन्द्र में विक्रय हेतु रखी जाने वाली सामग्री :–**

(I) नियुक्त लीज धारक विन्ध्य हर्बल्स आयुर्वेद केन्द्र से केवल विन्ध्य हर्बल्स ब्रांड के आयुर्वेदिक उत्पादों का ही विक्रय कर सकेगा ।

(II) विन्ध्य हर्बल्स आयुर्वेद केन्द्र के लिये नियुक्त लीज धारक को एम.एफ.पी.–पार्क, बरखेड़ा पठानी से विंध्य हर्बल ब्रांड के उत्पाद प्राप्त करने होंगे जिस पर फ्रैंचायची वितरकों हेतु निर्धारित कमीशन एवं स्कीम देय होगी। उत्पादों का प्रदाय अग्रिम राशि जमा करने के उपरांत ही किया जाएगा।

(III) विन्ध्य हर्बल्स आयुर्वेद केन्द्र में एक्सपायरी औषधियों को रखना भी अनुबंध का गंभीर उल्लंघन माना जावेगा।

6. **वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण करना :–**

(1) सफल निविदाकार द्वारा विन्ध्य हर्बल्स आयुर्वेद केन्द्र के संचालन या उसमें विक्रय हेतु रखे जाने वाली सामग्री के संबंध में केन्द्र सरकार, राज्य शासन या स्थानीय निकायों के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं नियमों का पालन करना होगा। यथा सामग्री उपयोग की अंतिम तिथि, अधिमान्य लेखे एवं अभिलेख साफ–सफाई, करों का भुगतान आदि।

(2) सफल निविदाकार को आवश्कतानुसार बिक्री केन्द्र संचालन के लिये बिक्री कर पंजीयन/शासन से लाइसेन्स अथवा अन्य कोई अनुमति यदि लागू हो, प्राप्त करनी होगी। लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, (एम0एफ0पी0–पार्क) इसके लिये कोई दायित्व या व्यय का वहन नहीं करेगा। यह दायित्व पूर्ण रूप से सफल निविदाकार का होगा।

(4) सफल निविदाकार उत्पादों/सेवाओं की गुणवत्ता का रखरखाव पूर्ण सजगता से करेगा। यदि किसी भी समय यह सूचना प्राप्त होती है कि

उत्पाद/सामग्री/सेवाएं, जो दी जा रही हैं वह मिथ्या एवं अवैध है और मानकों से नीचे हैं तो यह निविदा की शर्तो का गंभीर उल्लंघन माना जावेगा।

7. विन्ध्य हर्बल्स आयुर्वेद केन्द्र में चल या अचल सम्पत्तियों को रखना या निर्माण करना

(1) सफल निविदाकार को अपने व्यय पर यदि आवश्यक हो तो, सभी सुविधाएं (जैसे कुर्सी, बेंच, पेयजल व्यवस्था इत्यादि) विकसित कर जुटानी होंगी।

(2) सफल निविदाकार विन्ध्य हर्बल्स आयुर्वेद केन्द्र में किसी प्रकार का स्थाई निर्माण या अचल संपत्ति का निर्माण नहीं कर सकेगा ।

8. लेखा संधारण,परीक्षण एवं जानकारी उपलब्ध कराना :
मुख्य कार्यापालन प्रधिकारी, एम.एफ.पी. पार्क बरखेड़ा पठानी, सफल निविदाकार द्वारा लीज पर लिये गये **विन्ध्य हर्बल्स आयुर्वेद केन्द्र** में किसी भी व्यक्ति को लेखा संबंधी बही खाते, रसीदे इत्यादि देखने के लिये अधिकृत कर सकेगा। मुख्य कार्यापालन प्रधिकारी, एम.एफ.पी. पार्क बरखेड़ा पठानी, भोपाल द्वारा प्रदाय निर्धारित प्रपत्रों में विकय की मासिक जानकारी प्रदाय करना अनिवार्य होगी।

9. नियुक्त लीज धारक बिक्री केन्द्र परिसर के अन्दर किसी भी अवैध गतिविधि में लिप्त नहीं होगा। यदि नियुक्त लीज धारक या उसके किसी कर्मचारी को एम.एफ.पी. पार्क /शासन/ शालीनता/सदाचार के विरूद्ध किसी भी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो एम.एफ.पी. पार्क को यह पूर्ण अधिकार होगा कि एक सप्ताह के नोटिस जारी करने के उपरान्त करारनामा निरस्त कर सके।

10. कार्य न करने की स्थिति में :

(I) द्वितीय पक्ष बिक्री केन्द्र पर उपलब्ध रहने वाले व्यक्तियों या अमले के नाम उपलब्ध कराएगा। लीजधारक सामान्य साप्ताहिक अवकाश के दिन को छोड़कर अन्य दिनों में विकय केन्द्र को नियमित रुप औषधालय के समयानुसार अथवा अधिकतम समय तक खोलेगा ऐसा न करने पर करारनामें का उल्लधंन माना जाएगा।

(II) यदि द्वितीय पक्ष बिक्री केन्द्र का संचालन नहीं करना चाहता है तो वह न्यूनतम तीन माह का नोटिस देकर करारनामा समाप्त कर सकता है। ऐसा होने पर द्वितीय पक्ष को प्रतिभूति निक्षेप की पूरी या आंशिक राशि जैसी कि स्थिति हो, प्रथम पक्ष द्वारा वापस की जावेगी।

(III) द्वितीय पक्ष बिक्री केन्द्र परिसर के अन्दर किसी भी अवैध गतिविधि में लिप्त नहीं होगा। यदि नियुक्त लीज धारक या उसके किसी कर्मचारी को राज्य लघु वनोपज संघ/शासन/ शालीनता/सदाचार के विरूद्ध किसी भी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो म. प्र. राज्य लघु वनोपज संघ को यह पूर्ण अधिकार होगा कि एक सप्ताह के नोटिस जारी करने के उपरान्त यह करारनामा निरस्त कर सके।

11. विपणन –

(I) फ्रैंचायची लीज धारक को प्रतिमाह न्यूनतम 50,000/–पचास हजार रुपए की विन्ध्य हर्बल्स औषधियों का विकय करना अनिवार्य है। एम0एफ0पी0–पार्क द्वारा प्रत्येक त्रैमासिक अवधि में विकय प्रगति की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा उपरांत लीज निरस्त करने अथवा निरंतर रखने का निर्णय लिया जाएगा।

(II) हर्बल उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा के लिए दोनों पक्षों की आपसी सहमति से नवीन बिन्दुओं का समावेश एवं करारनामें का पुनरीक्षण आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

(II) यदि निविदाकार अन्य कंपनियों के उत्पाद विक्रय केन्द्र के माध्यम से विक्रय करना चाहता है, तो उसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम0एफ0पी0—पार्क से लिखित में सूचना देकर अनुमति प्राप्त करनी होगी। सामान्यतः वह ऐसे आयुर्वेदिक उत्पाद जो विन्ध्य हर्बल्स द्वारा निर्माण नही किए जाते लेकिन मांग में है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम0एफ0पी0—पार्क के अनुमोदन के बाद विक्रय कर सकेगा।

12. करारनामा समाप्ति –

1. यदि द्वितीय पक्ष फ्रैंचायची लीज धारक द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम 50,000/—पचास हजार रुपए की विन्ध्य हर्बल्स औषधियों का विक्रय करना अनिवार्य है। एम0एफ0पी0—पार्क द्वारा प्रत्येक त्रैमासिक अवधि में विक्रय प्रगति की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा उपरांत लीज निरस्त करने अथवा निरंतर रखने का निर्णय लिया जाएगा।
2. अधिनियम, नियमावली अथवा लीजधारक करारनामे की किसी/किन्ही शर्तो का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप उसके करारनामें को प्रथम पक्ष द्वारा समाप्त किया जाता है, तो

   I. द्वितीय पक्ष को पांच वर्ष तक की कालावधि के लिए काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।
   II. तत्काल प्रभाव से **विन्ध्य हर्बल्स आयुर्वेद केन्द्र** " को खाली करना होगा।
   III. द्वितीय पक्ष द्वारा जमा किया गया लीज रेंट वापस नहीं होगा।
   IV. द्वितीय पक्ष द्वारा जमा किया गया प्रतिभूति निक्षेप राजसात किया जावेगा।
   V. यदि **विन्ध्य हर्बल्स आयुर्वेद केन्द्र** इससे संबद्ध संपत्ति को द्वितीय पक्ष के द्वारा हानि पहुंचाई जाती है तो इसकी मरम्मत व अन्य भरपाई भू—राजस्व संहिता के अंतर्गत वसूल की जायेगी।

17. विवाद अथवा न्यायालय की अधिकारिता—

1. निविदा के सम्बन्ध में किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज संघ, भोपाल का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होग।
2. न्यायालीन विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र भोपाल रहेगा।

प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम0एफ0पी0—पार्क नाम एवं डाक का पूरा पता	**द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर** नाम एवं डाक का पूरा पता

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में ऊपर नामित लीज ग्राहिता द्वारा हस्ताक्षर किये गयेः—

.... (हस्ताक्षर) नाम........................	.... (हस्ताक्षर) नाम........................